कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन: यू35201 एमएच 1990 जीओआई 223738

पंजीकृत कार्यालय: बेलापुर भवन, सेक्टर 11, प्लॉट नं. 6, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614, महाराष्ट्र
www.konkanrailway.com

# कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और स्थिरता नीति

(14 फरवरी, 2023 को संपन्न 19 वीं सी.एस.आर. एंड एस. समिति और 173 वीं निदेशक मंडल की बैठक में संशोधित )

1. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) के बारे में

कंपनी की कोंकण रेलवे मार्ग अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर रोहा (रायगढ़, महाराष्ट्र) से ठोकुर (दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक) तक जोड़ने वाली एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण और परिचालन करने के लिए स्थापना की गई।

कंपनी का मुख्य व्यवसाय, रेल द्वारा यात्रियों और वस्तुओं का परिवहन करना तथा बुनियादी संरचना परियोजनाओं (आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर) का कार्य-निष्पादन करना है।

2. सीएसआर एस का परिचय एवं इतिहास

डी.पी.ई. ने वर्ष-2010 में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यान्वयन पर दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिनके अनुसार सी.पी.एस.ई कॉर्पोरेट प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होते थे और इस प्रदर्शन का आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव तथा पर्यावरणीय प्रभाव, इस संदर्भ में मापन किया जाता था- जिन्हें आमतौर पर ट्रिपल बॉटम लाइन कहा जाता था। दिशा-निर्देशों को बाद में संशोधित किया गया और 01.04.2013 से लागू किया गया। इसके बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 के माध्यम से, इन दिशा-निर्देशों को पुन: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर नियमों के लागू प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप संशोधित किया गया। संशोधित दिशा-निर्देश 21 अक्टूबर, 2014 को जारी किए गए जो 01.04.2014 से प्रभावी होंगे। तदनुसार, कोंकण रेलवे पर उन्हें अपनाया गया।

3. इस नीति का कार्यक्षेत्र-

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आयोजित की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों और सीएसआर संबंधी पद्धतियों के बारे में हितधारकों को अवगत कराना इस नीति दस्तावेज का उद्देश्य है।

**4.** इस नीति के उद्देश्य-

इसका उदेश्य है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, नागरिक सुविधाएं आदि प्रदान करना, इसके साथ कौशल विकास और रोजगार के अवसर निर्माण करना और अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार सतत विकास के लिए अधिक पर्यावरणीय जिम्मेदारियों तथा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों की सहायता करना है।

संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

i. भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देना।

ii. शिक्षा के लिए बढ़ावा देना, जिसमें प्रगत और विशेष शिक्षा प्रदान करना, विशेष रूप से बच्चों के लिए व्यवसायिक कौशल, स्कूल / कॉलेज के छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों, विशेषाधिकार प्राप्त कार्यरत विशेष व्यक्तियों तथा विशेष प्रकार से योग्य व्यक्तियों को शामिल कराते हुए आजीविका वृद्धि परियोजना को बढ़ावा देना है

iii. लैंगिक समानता, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की असमानताओं को कम करने के उपायों को बढ़ावा देना है;

iv. पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण (हरित ऊर्जा, जल संचयन आदि सहित) सुनिश्चित करना और गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा सेटअप गंगा निधि में योगदान देने सहित मृदा, वायु और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना

v. राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थानों तथा कला कार्यों की पुनर्स्थापना करना; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना तथा विकास करना

vi. सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त योद्धाओं, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के सेवानिवृत्त योद्धाओं, और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय करना।

vii. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

viii. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत तथा कल्याण के लिए; प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधान मंत्री की नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति निधि में राहत (पीएम केयर फंड) या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान प्रदान करना।

ix. क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए योगदान प्रदान करना; तथा

ख) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के लिए योगदान; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं एवं स्वायत्त निकाय; जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); औषधि विभाग; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान से जुड़े भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)।

x. ग्रामीण विकास परियोजनाएं।
xi. स्लम क्षेत्र का विकास।
xii. राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।

## 5. कार्य के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र

कोंकण रेलवे द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए परिकल्पित ध्यान देनेवाले क्षेत्र और इसके थ्रस्ट क्षेत्र निम्नानुसार हैं। उदाहरण के रूप में सूची को प्रस्तुत है।

5.1 स्थायी आजीविका के लिए कौशल विकास

i. बेहतर रोजगार-क्षमता के लिए युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यशाला।

ii. युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण/कार्यशाला।

5.2 साक्षरता/शिक्षा

i. कंप्यूटर साक्षरता और प्रौद्योगिकी समर्थित अभ्यास को बढ़ावा देना।

ii. वित्तीय सहायता के साथ तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

iii. युवाओं के कौशल विकास के लिए बुनियादी संरचना द्वारा सहायता प्रदान करना।

iv. योग्य छात्रों को शैक्षिक सामग्री और छात्रवृत्ति का प्रावधान करना।

v. मौजूदा स्कूल भवनों एवं इनके संबंधित सुविधाओं की मरम्मत करना।

5.3 सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता

i. सुरक्षित पेयजल के लिए वाटर फिल्टर की व्यवस्था।

ii. मोबाइल मेडिकल वैन/निगरानी वाहनों आदि के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।

iii. जरूरतमंदों को पोषाहार की खुराक प्रदान करना और अलग रूप से सक्षम व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना।

iv. समय-समय पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का आयोजन करना।

v. शौचालयों के रख-रखाव और निर्माण के माध्यम से स्वच्छता रखना।

5.4 कृषि और बुनियादी संरचना विकास

i. हरित (नवीकरणीय) ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।

ii. गांवों और गलियों में स्थित सार्वजनिक भवनों का विद्युतीकरण करना।

iii. ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देना।

5.5 केंद्र सरकार की निधियों में अंशदान, आपदा प्रबंधन के तहत सहायता प्रदान करना तथा सीएसआर और स्थिरता समिति (सीएसआर एंड एस) और निदेशक मंडल के अनुमोदन से कोई अन्य मद।

6. सामान्य

6.1 सीएसआर यह अपने हितधारकों अर्थात शेयरधारकों, यात्रियों, ग्राहकों, स्थानीय समुदायों, पर्यावरण और समाज के प्रति आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थिरता से व्यापार करने के लिए कोंकण रेलवे की प्रतिबद्धता है, जिससे समाज के हितों की सेवा की जा सके।

6.2 सीएसआर का प्रयास, समुदायों का सशक्तिकरण, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, समाज के वंचित और कमजोर वर्गों का उत्थान करना होगा।

6.3 कोंकण रेलवे के सीएसआर के तहत गतिविधियों का क्षेत्र मुख्य रूप से कंपनी का परिचालन क्षेत्र होगा, अन्य क्षेत्र, सीएसआर एंड एस समिति की सिफारिशों और बीओडी के अनुमोदन के साथ उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे।

6.4 सभी स्तरों पर कर्मचारियों में सीएसआर के सिद्धांत और भाव को आत्मसात करने तथा कोंकण रेलवे के मूल मूल्यों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

6.5 बोर्ड की सीएसआर एंड एस समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार बैठक आयोजित की जाएगी। समिति की सिफारिश जैसा भी मामला हो टिप्पणी/अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

6.6 सीएसआर एंड एस समिति को सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन में एक नोडल अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जो एसजी रैंक से नीचे नहीं होंगे। नामित नोडल अधिकारी द्वारा निम्न कार्य किए जाएंगे:

ए. नीति निर्देशों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के समन्वय को सुगम बनाना।
बी. बोर्ड स्तरीय समिति को सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति नियमित रूप से प्रस्तुत करना।
सी. बीओडी की सिफारिश और अनुमोदन के लिए कंपनी सचिव के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

डी. डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर एंड एस नीति और आवधिक रिपोर्टों की सामग्री का खुलासा करना।
इ. आवश्यकतानुसार संबंधित मंत्रालय को रिपोर्ट भिजवाना।
एफ. प्रबंधन द्वारा सौंपा हुआ कोई अन्य कार्य करना।

6.7 इस नीति के तहत कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए नोडल अधिकारी के पास कंपनी के किसी भी अधिकारी से कोई तकनीकी सलाह और सहयोग लेने का अधिकार होगा।

7. सीएसआर गतिविधियों/योजनाओं/परियोजनाओं की योजना/चयन
सीएसआर गतिविधियों की पहचान के लिए कोंकण रेलवे द्वारा निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाएगा:

7.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत परिभाषित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा।

7.2 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन में कोंकण रेलवे की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए, कंपनी अपनी गतिविधियों को व्यापार नीतियों और रणनीतियों के साथ यथा संभव जोड़ सकती है और ऐसी गतिविधियों का चयन कर सकती है, जिनकी इन-हाउस विशेषज्ञता के माध्यम से बेहतर निगरानी की जा सकती है।

7.3 संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए, कोंकण रेलवे अधिक लाभार्थियों और दीर्घकालिक दृश्य प्रभाव वाली मेगा परियोजनाओं के लिए अन्य सीपीएसई का सहयोग ले सकती है।

7.4 सीएसआर गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुरूप हैं, निधि के आबंटन और सीएसआर गतिविधियों के चयन के लिए रेलवे परिसरों के भीतर कार्य करने पर उचित विचार किया जाएगा।

8. सीएसआर बजट और व्यय

8.1 सीएसआर बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा। सीएसआर पर व्यय करने के लिए विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोंकण रेलवे के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% होगा या कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित किया जाएगा। लंबी अवधि की सीएसआर गतिविधियों को छोड़कर पूरा बजट उसी वर्ष में खर्च करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि इसकी निर्माण अवधि के अनुसार खर्च किया जाएगा।

8.2 "शुद्ध लाभ" का अर्थ अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए अपने वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का शुद्ध लाभ है, परंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्: -

(i) कंपनी की किसी भी विदेशी शाखा या शाखाओं से उत्पन्न होने वाला कोई लाभ, चाहे वह एक अलग कंपनी के रूप में संचालित हो या अन्यथा; और
(ii) भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त कोई लाभांश जो अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के तहत कवर और अनुपालन किया जाता है, बशर्ते कि इन नियमों के तहत कवर की गई विदेशी कंपनी के मामले में शुद्ध लाभ का मतलब है, अधिनियम की धारा 198 के साथ पठित धारा 381 की उप-धारा (1) के अनुछेद (ए) के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि खाते के अनुसार ऐसी कंपनी का शुद्ध लाभ है।

8.3 वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल सीएसआर व्यय का पांच प्रतिशत प्रशासनिक ओवरहेड्स के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा है।

8.4 (ए) यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में विगत तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत दस करोड़ रुपए या उससे अधिक का सीएसआर दायित्व है, तो एक करोड़ रुपये या उससे अधिक परिव्यय वाली उनकी सीएसआर परियोजनाओं और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से पहले एक वर्ष से कम समय में पूरी नहीं हुई हैं उनके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कंपनी प्रभाव मूल्यांकन करेगी ।
(बी) प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और सीएसआर संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

(सी) सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रभाव मूल्यांकन पर अधिकतम खर्च उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय का 2% या ₹50 लाख, जो भी अधिक हो।

8.5 नियमित सीएसआर कर्मचारियों के साथ-साथ कोंकण रेलवे के स्वयंसेवकों को कोंकण रेलवे द्वारा भुगतान किए गए वेतन को सीएसआर व्यय के हिस्से के रूप में सीएसआर गतिविधियों की लागत में शामिल किया जाएगा।

8.6 यदि कंपनी अपने सीएसआर दायित्व के तहत खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि से कम खर्च करती है, तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में खर्च न करने के कारणों का उल्लेख करेगा। अव्ययित राशि का निपटारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

8.6.1 'कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं' से संबंधित अव्ययित राशि – वित्तीय वर्ष समाप्त होने से 30 दिनों के भीतर 'अव्ययित सीएसआर खाता' नामक, कंपनी के एक अलग बैंक खाते में राशि स्थानांतरित की जाएगी।

8.6.2 कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के अलावा' से संबंधित अव्ययित राशि - वित्तीय वर्ष समाप्ति से 6 महीने के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल किसी भी निधि में राशि स्थानांतरित की जाएगी।

8.7 निम्नलिखित व्यय, यदि ऐसा किया जाता है, को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए सीएसआर व्यय नहीं माना जाएगा:

i. कंपनी के कारोबार के सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसरण में की गई गतिविधियां:

ii. राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खेल कर्मियों के प्रशिक्षण को छोड़कर भारत के बाहर की गई सीएसआर गतिविधियों पर व्यय;

iii. अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान;

iv. वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के अनुच्छेद (के) में परिभाषित कंपनी के कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाली सीएसआर गतिविधियां;

v. अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विपणन लाभ प्राप्त करने के लिए प्रायोजक आधार पर कंपनियों द्वारा समर्थित गतिविधियाँ;

vi. भारत में लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी अन्य वैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए की गई गतिविधियाँ।

8.8 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों में से सीएसआर गतिविधियों का चयन करते समय, उन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो राष्ट्रीय विकास एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षण और विकास, हरित ऊर्जा, सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालयों का प्रावधान, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा आदि।

सीएसआर एंड एस नीति का मुख्य लक्ष्य सतत विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास पर होगा तथा समाज के वंचित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

8.9 सीएसआर गतिविधियों से शेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं बनेगा और उसका उपयोग उसी परियोजना में किया जाएगा या अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया जाएगा और सीएसआर नीति तथा कंपनी की वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में व्यय किया जाएगा, या कंपनी ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थनांतरित किया जाएगा।

8.10 यदि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत निर्धारित राशि से अधिक राशि खर्च करती है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत अगले तीन वित्तीय वर्षों तक आवश्यकता के अनुसार निम्नानुसार शर्तों के अधीन समायोजित किया जा सकता है।

(i) सेट ऑफ के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि में सीएसआर गतिविधियों से शेष शामिल नहीं किए जाएंगे।

(ii) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में संकल्प पारित किया जाएगा।

8.11 कंपनी द्वारा सीएसआर राशि पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की जा सकती है, जो कि -

(ए) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, जिसके पास धर्मार्थ उद्देश्य और सीएसआर पंजीकरण संख्या है; या
(बी) उक्त सीएसआर परियोजना के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूहों, सामूहिक, संस्थाओं के रूप में; या
(सी) सार्वजनिक प्राधिकरण।

9. आधारभूत सर्वेक्षण और दस्तावेज़ीकरण

9.1 हालांकि बेसलाइन सर्वेक्षणों को आम तौर पर आवश्यकताओं के उचित माप के लिए उपयोगी वैज्ञानिक उपकरण माना जाता है, यह उन मामलों के लिए नहीं अपनाया जाएगा, जहां कोंकण रेलवे के अपने संसाधनों या किसी विशेष एजेंसी के माध्यम से किए गए मूल्यांकन अध्ययन के विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य, या मान्यता प्राप्त स्रोतों से विश्वसनीय डेटा उपलब्ध है। परियोजनाओं का चयन हमेशा ऐसे सर्वेक्षणों पर आधारित नहीं किया जा सकता है।

9.2 नोडल अधिकारी सीएसआर एंड एस समिति की समीक्षा और सिफारिश तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रति वर्ष मार्च समाप्ति पर इस नीति के पैरा 10.5 में उल्लिखित के अनुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे।

9.3 अगले वर्ष के लिए नए सीएसआर प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व, सीएसआर एंड एस समिति द्वारा ऐसी गतिविधियों के लिए अनुमोदित राशि, वास्तविक खर्च/अव्ययित राशि और प्रतिबद्धता जो निष्पादन के लिए लंबित है, के साथ पिछले वर्ष के कार्यों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

10 सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन

10.1 वो सीएसआर गतिविधियाँ, जो कोंकण रेलवे की रणनीति के साथ जुड़ी हुई हैं और महत्वपूर्ण हैं, कोंकण रेलवे की अपनी श्रमशक्ति और संसाधनों के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। जहां कोंकण रेलवे के पास इन- हाउस विशेषज्ञता नहीं होते है, वहां निम्नलिखित के माध्यम से गतिविधियां कार्यान्वित की जा सकती हैं:

(ए) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 ए और 80 जी के तहत पंजीकृत, कोंकण रेलवे द्वारा स्थापित, या तो एक कंपनी द्वारा या किसी अन्य कंपनी के साथ, या

(बी) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या पंजीकृत ट्रस्ट या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत सोसायटी; या

(सी) संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई संस्था; या

(डी) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए और 80 जी के तहत पंजीकृत है, और समान गतिविधियों को कार्यान्वित करने में कम से कम तीन वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है।

10.1.1 उक्त उल्लिखित प्रत्येक संस्था, जो किसी भी सीएसआर गतिविधि को कार्यान्वित करने का इच्छा रखती है, को 01 अप्रैल, 2021 से रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीएसआर -1 फॉर्म भरकर केंद्र सरकार के पास पंजीकृत करना होगा।

10.2 नियुक्त की जाने वाली एजेंसी का इनके समान परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का न्यूनतम तीन वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। कोंकण रेलवे नीति के अनुसार खरीद दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए चयन किया जाना चाहिए। विशिष्ट एजेंसी सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करेगी।

10.2.1 इसका भारत में स्थायी कार्यालय होना चाहिए और बिना किसी राजनीतिक संबद्धता के तीन साल से अधिक समय तक उचित प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

10.2.2 जो एजेंसियां कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम या व्यवसाय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करती हैं, उनके पास उपयुक्त प्राधिकरणों जैसे एनसीवीटी या एनएसडीए आदि से वैध मान्यता होनी चाहिए। उन्हें किसी भी प्राधिकरण द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं शामिल किए जाने की घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।

10.3 कंपनी सीएसआर गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ भी इस तरह सहयोग कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति में हों। जहां भी आवश्यक हो, सीएसआर गतिविधि/परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन/अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

कंपनी का बोर्ड स्वयं को संतुष्ट करेगा कि इस प्रकार वितरित निधि का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इसे प्रमाणित किया जाएगा।

10.4 कार्यान्वित की जा रही परियोजना के मामले में, कोंकण रेलवे के निदेशक मंडल स्वीकृत समय-सीमा और वर्ष-वार आबंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे और समग्र रूप से परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, उसे करने के लिए सक्षम होंगे।

10.5 सीएसआर समिति अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्: -

(ए) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों के संबंध में कार्यान्वयन करने के लिए अनुमोदित किया गया है;

(बी) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधि के उपयोग और कार्यान्वयन शेडयूल के प्रकार;

(सी) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र; और

(डी) कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, उसके विवरण:

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय सीएसआर एंड एस समिति की सिफारिश के अनुसार, इस संबंध में उचित औचित्य के आधार पर ऐसी योजना में परिवर्तन किया जा सकता है।

10.6 सीएसआर नीति, निष्पादन भागीदारों, परियोजना विवरण, किए गए व्यय आदि के उचित दस्तावेज़ नियमित आधार पर तैयार किए जाएंगे, जो निगरानी और लेखापरीक्षा हेतु आवश्यकता पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

10.7 एक बार परियोजना स्वीकृत हो जाने के बाद, मॉडल समझौते या समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक निष्पादन/कार्यान्वयन एजेंसी के साथ एक समझौता या समझौता ज्ञापन दर्ज किया जाएगा। उक्त समझौता ज्ञापन में परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन के तौर-तरीकों और उसके लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम को निर्दिष्ट करेगा। इसमें परियोजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया भी दर्शायी जाएगी।

10.8 अव्ययित सीएसआर राशि का हस्तांतरण - अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) और (6) के प्रयोजनों के लिए अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि, अव्ययित सीएसआर राशि, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा अनुसूची VII में शामिल किसी भी फंड में स्थानांतरित की जाएगी।

11. मूल्यांकन/प्रभाव का आकलन और लाभार्थियों से प्रतिक्रिया

किसी भी सीएसआर और एस गतिविधि की सफलता का परीक्षण उसके सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव और आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन के समय पर निर्धारित उद्देश्य से संबंधित परिणाम के माध्यम से होगा। जैसा कि प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन हेतु विशेष कौशल और समर्थन उपकरणों की आवश्यकता होती है। विशेष एजेंसी द्वारा अनुसंधान किया जा सकता है या लाभार्थी से प्राप्त किया जा सकता है या कोंकण रेलवे द्वारा इन-हाउस किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

12. सीएसआर रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

12.1 समयानुसार प्रगति, व्यय और भौतिक प्रगति/किए गए कार्यों की गुणवत्ता के संदर्भ में सीएसआर और एस गतिविधियों के प्रदर्शन की नियमित आधार पर निगरानी की जा सकती है।

12.2 सीएसआर पहलों पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट नोडल अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जो यदि कोई हो, तो वे देरी के लिए रिपोर्ट की जांच करेंगे तथा निधि का उचित उपयोग किया गया है और समयानुसार प्रगति और स्वीकृत बजट अनुमानों के तहत प्रगति की निगरानी करेंगे। रिपोर्ट को समीक्षा और अनुमोदन के लिए सीएसआर एंड एस समिति/बीओडी के समक्ष रखा जाएगा।

12.3 सीएसआर समिति की संरचना और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाएगा:

01 अप्रैल, 2020 या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:
2. सीएसआर समिति की संरचना:

| क्रम संख्या | निदेशक का नाम | पदनाम / निदेशक पद का स्वरूप | वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | वर्ष के दौरान भाग लिए गए सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब-लिंक के साथ कार्यात्मक सारांश प्रदान किया जाएगा, यदि लागू हो।

5. (ए) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।
(बी) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।
(सी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से शेष।

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।
(ई) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(बी) + (सी) - (डी)]।

6. (ए) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (कार्यान्वित की जा रही परियोजना और कार्यान्वित की जा रही परियोजना के अलावा दोनों)।
(बी) प्रशासनिक उपरिव्यय पर खर्च की गई राशि।
(सी) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो।
(डी) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(ए)+(बी)+(सी)]।
(ई) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

| वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि। (रुपये में) | खर्च न की गई राशि (रुपये में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि। | | धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि। | | |
| | राशि | स्थानांतरण की तिथि | निधि का नाम | राशि | स्थानांतरण की तिथि |
| | | | | | |

(एफ) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

| क्रम संख्या | विवरण | राशि (रुपये में) |
|---|---|---|
| (i) | धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत | |
| (ii) | वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि | |
| (iii) | वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)] | |
| (iv) | सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों में से शेष, यदि कोई हो | |
| (v) | विगत वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)] | |

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

| क्रम संख्या | पिछले वित्तीय वर्ष | धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि(₹ में) | धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ में) | वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में) | धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की गई राशि, यदि कोई हो | | आने वाले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (₹ में) | कमी, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | राशि (₹ में) | स्थानांतरण की तिथि | | |
| 1. | वित्तीय-वर्ष-1 | | | | | | | |
| 2. | वित्तीय-वर्ष-2 | | | | | | | |
| 3. | वित्तीय-वर्ष-3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है: हां ○ नहीं ○

यदि हां, बनाई/अर्जित की गई पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज की जाएगी
वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या प्राप्त की गई ऐसी परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत है:

| क्रम संख्या | संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित] | संपत्ति या परिसंपत्ति का पिन कोड | निर्माण की तारीख | सीएसआर राशि खर्च की गई राशि | पंजीकृत मालिक की इकाई/ प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सीएसआर पंजीकरण संख्या, | नाम | पंजीकृत पता |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | यदि लागू हो | | |
| | | | | | | | |

(राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाए गए सभी क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाना चाहिए, फ्लैट संख्या, मकान नंबर, नगरपालिका कार्यालय / नगरपालिका निगम / ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल परिसंपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)

9. यदि कंपनी धारा 135 के उपखंड (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण बताएं।

| हस्ताक्षर<br><br>(मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक) | हस्ताक्षर<br><br>(अध्यक्ष सीएसआर समिति) | हस्ताक्षर<br><br>[धारा 380 के उप-खंड (1) के खंड (डी) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति]<br>(जहां भी लागू हो) |
|---|---|---|
| | | |

()()()()